राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2021

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार **डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2021** के संचालन हेतु नवीन दिशानिर्देश लागू करती है:–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार** ::

1) यह योजना "**डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2021**" कहलायेगी।

2) योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषाऐं** :: इन दिशा निर्देशों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

1) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।
2) "विभाग" से राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अभिप्रेत है।
3) "आयुक्त/निदेशक" से विभाग का आयुक्त/निदेशक अभिप्रेत है।
4) "प्रभारी अधिकारी" से विभाग में योजना का क्रियान्वयन अधिकारी अभिप्रेत है।
5) "जिलाधिकारी" से जिले मे विभाग द्वारा नियुक्त/पदस्थापित अधिकारी अभिप्रेत है (बिना किसी रेंक या वेतनमान के विभेद के)।
6) "युवक/युवती" से विवाह हेतु विधि द्वारा निर्धारित क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष के युवक/युवती अभिप्रेत हैं।
7) "अनुसूचित जाति" से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए यथा राजपत्र में अधिसूचित अनुसूचित जाति अभिप्रेत है।
8) युगल से विधिक रूप से मान्य विवाह के अन्तर्गत दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले युवक–युवती (पति–पत्नि) अभिप्रेत है।

3. **उद्देश्य** ::

1) जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढावा देने के लिए हिन्दू सवर्ण जातियों के युवक/युवती से अनुसूचित जाति के युवक/युवती के द्वारा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।

2) उक्त उद्देश्य हेतु डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2021 के अन्तर्जातीय विवाह के साहसिक कदम की सामाजिक रूप से सराहना/प्रोत्साहन स्वरूप नवयुगल को समाज में उनके विवाह को स्थापित करने एवं घर/गृहस्थी को आरम्भिक तौर पर संचालन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

4. <u>पात्रता एवं शर्ते</u> ::

1) अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती, जिसने किसी सवर्ण हिन्दू युवक अथवा युवती से विवाह किया हो।
2) युवक एवं युवती दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी हो।
3) आवेदक युवक एवं युवती के संदर्भ में जाति प्रमाण–पत्र पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4) आवेदक युवक एवं युवती के संदर्भ में मूल–निवास प्रमाण–पत्र पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
5) युगल में से किसी की भी आयु विवाह दिनांक को 35 वर्ष से अधिक नहीं हो।
6) आपराधिक मामलों के संबंध में युगल (वर–वधू) द्वारा दोषसिद्ध नहीं हुआ है का स्वघोषणा–पत्र में अंकित तथ्य ही मान्य है। व्यक्तिशः दोषसिद्धि की लिखित में जानकारी / विशेष परिस्थिति में जांच की जा सकती है।
7) युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
8) ऐसे युगल द्वारा राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
9) विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजनान्तर्गत लाभ देय होगा।
10) युवक / युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ देय होगा ।
अपवादः– विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र होगी बशर्ते युगल में से किसी ने पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।

5. <u>आवश्यक दस्तावेज</u> ::

1) सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
2) सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
3) युगल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
4) युगल की जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु शैक्षणिक प्रमाण पत्र / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।
5) युगल का आधार कार्ड की प्रति एवं जनआधार कार्ड सख्या।
6) युगल का संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या व पेन कार्ड की प्रतियॉं।
7) युवक व युवती का आय प्रमाण पत्र (स्वघोषणा पत्र)
8) युवक व युवती का गंभीर अपराध प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं होने का स्वघोषणा–पत्र।
9) युगल की संयुक्त फोटो।
10) विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
11) युगल में से एक, जो अनुसूचित जाति का न हो, उसे अपने स्वंय के हिन्दू सवर्ण जाति का होने के आशय का "स्वघोषणा–पत्र"।

6. <u>आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</u> ::

1) युगल में से योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि के लिये, दिशा निर्देशो के अन्तर्गत पात्र अनुसूचित जाति के युवक या युवती के द्वारा ही, जैसी भी स्थिति हो, ई–मित्र कियोस्क/राजस्थान एस. एस.ओ. के माध्यम से उसके गृह जिले का चयन कर एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन किया जा सकेगा।
2) योजनान्तर्गत आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज को ऑनलाईन आवेदन करते समय एस.जे. एम.एस. पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।
3) संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विभागीय पोर्टल पर प्राप्त आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप/परिपेक्ष्य में परीक्षण कर एक माह के अन्दर परीक्षण उपरान्त जैसी भी स्थिति हो स्वीकृत/आक्षेपित/कारणों सहित निस्तारित करेगा।
4) आवेदन में आक्षेप पाये जाने पर आवेदनकर्ता को दो माह का समय आक्षेपों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाएगा। दो माह की अवधि में आवेदनकर्ता द्वारा आक्षेपो की पूर्ति नही किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ऐसे आवेदक को, विवाह की दिनांक से एक वर्ष के अन्दर पुनः नए सिरे से उक्त प्रक्रियान्तर्गत नवीन आवेदन की छूट होगी।
5) किसी भी स्थिति में विवाह के एक वर्ष पश्चात् योजनान्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की छूट नहीं होगी तथा ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
6) शपथ–पत्र/स्वघोषणा पत्र में कोई भी मिथ्या/तथ्य/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो विधिक कार्यवाही कर राशि वसूल की जा सकेगी।

7. <u>प्रोत्साहन राशि</u> ::

योजनान्तर्गत युगल के सुखद दाम्पत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति–पत्नि के लिए 5.00 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार देय होगी:--

(i). युगल के संयुक्त नाम एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पदनाम की संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट राशि रूपये 2.50 लाख। (समय से पूर्व अदेय)
(ii). युगल के दाम्पत्य जीवन के निर्वहन के प्रयोजनार्थ संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से नगद सहायता 2.50 लाख रुपये।

8. <u>अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा</u> ::

1) योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार व जिला स्तर पर जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रभारी अधिकारी होंगे।
2) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं योजना के प्रावधानों के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

3) लिखित गंभीर शिकायत प्राप्त होने/गंभीर प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मृत्यु/हत्या/बलात्संग/सामूहिक बलात्संग/7 वर्ष या अधिक सजा के अपराध) में दोषसिद्धि/विशेष परिस्थितियों में विस्तृत जांच की जा सकेगी।

9. **विशिष्ट ::**

1) युवक/युवती द्वारा मिथ्या तथ्य/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा किन्हीं तथ्यों को छिपाये/असत्य पाए जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
2) इन नियमों की व्याख्या व असाधारण परिस्थितियों में प्रकरणों में दिशा-निर्देशों में शिथिलता के लिये आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे। किसी भी संशय की स्थिति में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
3) राज्य सरकार द्वारा 'डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2021' के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों में आवश्यकता प्रतीत होने पर समय-समय पर आवश्यक संशोधन किये जा सकेंगे।

(समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक F.11(37)AP/I C M/SJED/2021-22/5600-5709 जयपुर, दिनांक 07 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त सचिव (SCD-B), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिव, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ...
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (योजना),मुख्यावास।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास .... ।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।
11. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को योजना के प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्र मे सूचना प्रकाशित किये जाने बाबत्।
12. जिला कोषाधिकारी,...............................
13. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
14. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
15. लेखाकार, ऑडिट/अंकमिलान/बजट, मुख्यावास।
16. गार्ड फाईल।

शासन सचिव

स्वघोषणा-पत्र

मैं (वर) ....पुत्र ....निवासी.. आयु...................जाति(नाम ....वर्ग(सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग).................धर्म.............थाना..........................जिला............ राज्य.......................

और

मैं (वधु)....................................पुत्री.......................... पैतृक निवास स्थान............................हाल निवासी ....आयु.........................जाति (नाम) ....वर्ग (सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग)..........................धर्म............. थाना................................. जिला ....

शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं-

1. हमारा पैन नम्बर	पतिः-	पत्निः-
2. हमारा आधार नम्बर	पतिः-	पत्निः-
3. हमारा भामाशाह नम्बर	पतिः-	पत्निः-

4. यह कि हम दोनों (पति एवं पत्नि) कोई भी गंभीर प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मृत्यु/हत्या/बलात्संग/सामूहिक बलात्संग/7 वर्ष या अधिक सजा के अपराध) में दोषसिद्ध नहीं हुए है।
5. यह कि विवाह दिनांक .... को पति की कुल वार्षिक आय रूपये.. (कृषि/सेवा लाभ/वेतन/भत्ते/मजदूरी/किराये/स्वयं का व्यवसाय/कोई आय नहीं/अन्य................. इत्यादि स्त्रोतों से) एवं पत्नी की कुल वार्षिक आय रूपये.. (कृषि/सेवा लाभ/वेतन/भत्ते/मजदूरी/किराये/स्वयं का व्यवसाय/ कोई आय नहीं/ अन्य................. इत्यादि स्त्रोतों से)।
6. हम दोनों की कुल संयुक्त वार्षिक आय रुपये (अंकों में)...अक्षरे रुपये..है। यह है कि हम (पति/पत्नी) आयकर दाता हैं/नहीं हैं।
7. यह कि हम दोनों विवाह की दिनांक .... से एक साथ विवाह बंधन में रह रहे हैं।
8. यह कि हम में से श्री/श्रीमति.................................... हिन्दु सवर्ण जाति से सम्बन्ध रखता है/रखती है।
9. हम दोनों द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी समानान्तर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
10. यह है कि योजना के नियमों के विपरीत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते हैं तो प्राप्त राशि पुनः जमा कराने को बाध्य होंगे।
11. यह कि विभाग द्वारा आवेदन में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति हमारे द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने के कारण यदि विभाग द्वारा आवेदन निरस्त किया जाता है, तो हम स्वयं आवेदन के निरस्त होने के लिए जिम्मेदार होंगे।
12. यह कि हमारे द्वारा उक्त योजना के आवेदन में कोई भी मिथ्या तथ्य अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा किन्हीं तथ्यों को छिपाने/असत्य पाए जाने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हमारे विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
(पति)
दिनांक

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
(पत्नि)
दिनांक

सत्यापन

हम शपथकर्ता सत्यापित करते है कि, उपरोक्त वर्णित क्रमांक 01 से 11 तक अंकित तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। इसमें कोई तथ्य नही छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। आज दिनांक..........................को हस्ताक्षर कर हम सत्यापित करते हैं।

(सत्यापन कर्ता पति के हस्ताक्षर) (सत्यापन कर्ता पत्नि के हस्ताक्षर)

स्थान

कार्यालय उप/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जिला.........................

क्रमांक: F()()I.C.M./District name/SJED/Fin.year/ दिनांक:{Sanction_Date}

-:कार्यालय आदेश :-

अस्पृश्यता निवारण के प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों के बीच अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने हेतु "डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह सहायता योजना" अन्तर्गत आयुक्त /निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-11/आरएण्डपी/ अन्तर्जा-विवाह/सकवि/81-82/54961-55 दिनांक 27-11-2006, संशोधित आदेश क्रमांक 39586 दिनांक 01-04-2013, 60286 दिनांक 20-11-2014 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक वित्त(ई.ए.डी.) विभाग एफ 5 (F-75)कोष/IFMS/ others bills/43610-710 दिनांक 27.07.2017 एवं दिनांक 01.08.2021 के अनुसरण में निम्न आवेदक को पति-पत्नि (युगल) के संयुक्त नाम तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिये 2.50 लाख रूपये प्रोत्साहन राशि की फिक्स डिपोजिट (समय से पूर्व अदेय) बनाये जाने तथा पति-पत्नि (युगल) को विवाह को स्थापित करने घर/गृहस्थी को प्रारम्भिक तौर पर संचालन के लिये आर्थिक सहायता के रूप में सयुक्त बैंक खाते मे 250000 रूपये नकद कुल 250000 रूपये (कुल पांच लाख रूपये मात्र) की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

आवेदक का विवरण निम्न प्रकार है :-

पति का नाम	
पत्नि का नाम	
युगल का पता	
विवाह दिनांक	

(अ) संयुक्त बैंक खाते में नगद सहायता के लिये

खाता संख्या	
बैंक का नाम	
IFSC कोड	
सहायता राशि	

(ब) पति-पत्नि (युगल) के संयुक्त नाम तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट के लिए (समय से पूर्व अदेय)

चेक की राशि	
पक्ष में	उप/सहायक निदेशक,सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग,

50

यह व्यय निम्न लेखा मद से किया जायेगाः-

मांग संख्या-51

2225-01-196-17-02-12 (S.F./C.A)

उप/सहायक निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग
....

क्रमांक: F()()I.C.M./District name/SJED/Fin.year/

दिनांक:{Sanction_Date}

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अति. निदेशक (अत्याचार निवारण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, ...
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...
3. लेखा (भुगतान) प्रशाखा, हाजा को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के बिन्दु संख्या "अ" व "ब" में दर्शाये अनुसार राशि 500000 रूपये को पृथक-पृथक विवरण अनुसार प्रोत्साहन राशि का बिल बनाकर भुगतान की व्यवस्था करें।

उप/सहायक निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग
....